



सचिवालय

नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति, सागर (म.प्र.)

राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार



संतोष सोहगौरा

सदस्य-सचिव

संयुक्त कुलसचिव एवं प्रभारी राजभाषा अधिकारी

डॉक्टर हरीसिंह गौर विश्वविद्यालय, सागर (म.प्र.)

(केन्द्रीय विश्वविद्यालय)

ई-मेल : tolic.sagar@dhsu.edu.in

दूरभाष : 07582-297118

नराकास कोड : 247

मोबाइल नं. : 9479398600

क्र.: नराकास, सागर/2025/51

दिनांक : 25 नवम्बर, 2025

प्रति,

समस्त सम्माननीय सदस्यगण

नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति, सागर (म.प्र.)

विषय : नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति, सागर की वित्तीय वर्ष 2025-26 की द्वितीय छमाही बैठक का कार्यवृत्त।

महोदय/महोदया,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत लेख है कि राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार के निर्देशों के तारतम्य में नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति (नराकास), सागर की वित्तीय वर्ष 2025-26 की द्वितीय छमाही बैठक प्रो. यशवंत सिंह ठाकुर, माननीय कुलपति, डॉक्टर हरीसिंह गौर विश्वविद्यालय, सागर की अध्यक्षता एवं श्री नरेन्द्र सिंह मेहरा, उप निदेशक (कार्यान्वयन), क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय (मध्य) भोपाल, राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार की विशिष्ट उपस्थिति में दिनांक 17 नवम्बर, 2025 (सोमवार) को मध्याह्न 12.00 बजे वरदान होटल, सागर में सम्पन्न हुई।

उक्त बैठक का माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा अनुमोदित कार्यवृत्त आपकी ओर सूचनार्थ, अभिलेख एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

सादर,

संलग्नक : यथोक्त।

भवदीय,

संतोष सोहगौरा

प्रतिलिपि- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

- माननीय अध्यक्ष, नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति एवं कुलपति, डॉ. हरीसिंह गौर विश्वविद्यालय, सागर (म.प्र.)।
- श्री अनिल कुमार, उप सचिव (कार्यान्वयन), राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
- श्री नरेन्द्र सिंह मेहरा, उप निदेशक (कार्यान्वयन) क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय (मध्य), भोपाल (म.प्र.)।
- श्री अजय कुमार झा, उप निदेशक (राजभाषा), शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
- संयुक्त सचिव (राजभाषा), विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
- समस्त कार्यालयाध्यक्ष, सदस्य कार्यालय, नराकास, सागर।
- प्रभारी, सूचना प्रौद्योगिकी प्रकोष्ठ, डॉक्टर हरीसिंह गौर विश्वविद्यालय, सागर - कृपया विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
- कुलसचिव के निजी सहायक, डॉक्टर हरीसिंह गौर विश्वविद्यालय, सागर (म.प्र.)।
- माननीय कुलपति जी के निज सचिव, डॉक्टर हरीसिंह गौर विश्वविद्यालय, सागर (म.प्र.)।
- गार्ड फाइल।

‘हिंदी में पत्राचार हो, हिंदी में हर व्यवहार हो, बोलचाल में हिंदी ही अभिव्यक्ति का आधार हो।’



सचिवालय/Secretariat

नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति, सागर (म.प्र.)
Town Official Language Committee, Sagar (M.P.)



नराकास कोड : 247

प्रशासनिक भवन, डॉक्टर हरीसिंह गौर विश्वविद्यालय, सागर

ई-मेल : tolic.sagar@dhsgsu.edu.in

दूरभाष : 07582-297118

द्वितीय छमाही बैठक (वित्तीय वर्ष 2025-26)

तिथि : 17 नवम्बर, 2025 (सोमवार)

समय : मध्याह्न 12:00 बजे

स्थान : होटल वरदान, 05- सिविल लाइन्स, सागर

॥ कार्यवृत्त ॥

राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार के निर्देशों के तारतम्य में नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति (नराकास), सागर की वित्तीय वर्ष 2025-26 की द्वितीय छमाही बैठक प्रो. यशवंत सिंह ठाकुर, माननीय कुलपति, डॉक्टर हरीसिंह गौर विश्वविद्यालय की अध्यक्षता में दिनांक 17 नवम्बर, 2025 (सोमवार) को मध्याह्न 12:00 बजे सिविल लाइन्स स्थित होटल वरदान में आयोजित हुई। उक्त बैठक में विशिष्ट अतिथि के रूप में श्री नरेन्द्र सिंह मेहरा, उप निदेशक (कार्यान्वयन), क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय (मध्य), भोपाल, राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार उपस्थित रहे।

सर्वप्रथम नराकास, सागर के सदस्य-सचिव तथा विश्वविद्यालय के संयुक्त कुलसचिव व राजभाषा अधिकारी (प्र) श्री संतोष सोहगौरा ने नराकास, सागर की अध्यक्ष एवं विश्वविद्यालय की माननीय कुलपति प्रो. यशवंत सिंह ठाकुर, विशिष्ट अतिथि श्री नरेन्द्र सिंह मेहरा एवं नराकास, सागर के सदस्य कार्यालयों के प्रमुखों एवं प्रतिनिधियों का स्वागत किया। तदुपरांत बिंदुवार चर्चा हेतु कार्यसूची समिति के समक्ष प्रस्तुत की।

बैठक का बिंदुवार कार्यवृत्त निम्नानुसार है :-

वंदन, अभिनंदन एवं परिचय

1. माँ सरस्वती एवं डॉ. गौर को पुष्पांजलि अर्पण कर बैठक का शुभारंभ।

बैठक का शुभारंभ समिति के माननीय अध्यक्ष महोदय प्रो. यशवंत सिंह ठाकुर, विशिष्ट अतिथि श्री नरेन्द्र सिंह मेहरा एवं समिति के सदस्य-सचिव श्री संतोष सोहगौरा द्वारा माँ सरस्वती एवं विश्वविद्यालय के संस्थापक डॉ. हरीसिंह गौर के चित्र पर माल्यार्पण के साथ किया गया।

2. संगीत विभाग, डॉक्टर हरीसिंह गौर विश्वविद्यालय द्वारा सरस्वती वंदना की प्रस्तुति।

विश्वविद्यालय के संगीत विभाग के विद्यार्थियों द्वारा सहायक प्राध्यापक डॉ. अवधेश प्रताप सिंह तोमर एवं डॉ. राहुल स्वर्णकार के मार्गदर्शन में सरस्वती वंदना प्रस्तुत की गई।

3. माननीय अध्यक्ष एवं कुलपति महोदय प्रो. वाय.एस. ठाकुर का स्वागत।

सदस्य-सचिव श्री सोहगौरा ने समिति को बताया कि राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति को नराकास, सागर की अध्यक्षता का दायित्व सौंपा गया है। विश्वविद्यालय के कुलपति (प्र.) होने के नाते माननीय प्रो. यशवंत सिंह ठाकुर समिति की बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं।

समिति के सदस्य-सचिव श्री संतोष सोहगौरा ने समिति की ओर से माननीय कुलपति महोदय का आदर सहित अभिनंदन किया।

4. विशिष्ट अतिथि श्री नरेन्द्र सिंह मेहरा, उप निदेशक (कार्यान्वयन), क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय (मध्य), राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार का स्वागत।

नराकास, सागर की ओर से समिति के सम्मानित सदस्य एवं बैंक ऑफ बड़ौदा, सागर के मुख्य प्रबंधक श्री अशोक अनिल घोटणकर द्वारा श्री मेहरा जी का स्वागत एवं अभिनंदन किया गया।

5. सम्माननीय सदस्य कार्यालयाध्यक्षों एवं नए सदस्य कार्यालयाध्यक्षों का स्वागत एवं परिचय।

सदस्य-सचिव श्री सोहगौरा ने समिति के समस्त-सदस्यों का स्वागत करते हुए सर्वप्रथम माननीय अध्यक्ष महोदय प्रो. यशवंत सिंह ठाकुर एवं विशिष्ट अतिथि श्री नरेन्द्र सिंह मेहरा का परिचय समिति के समक्ष रखा। तदुपरांत बेहतर समन्वय हेतु सभी कार्यालयाध्यक्षों एवं प्रतिनिधियों का परिचय प्राप्त किया गया। सदस्य कार्यालयों के प्रमुखों/प्रतिनिधियों ने राजभाषा कार्यान्वयन हेतु किए गए नवाचारों एवं अपने कार्यालय की उपलब्धियों से भी सदन का अवगत कराया।

माननीय अध्यक्ष महोदय प्रो. यशवंत सिंह ठाकुर एवं विशिष्ट अतिथि श्री नरेन्द्र सिंह मेहरा ने सदस्य कार्यालयों की सराहना की। उन्होंने समिति के नए सदस्य कार्यालय केन्द्रीय विद्यालय, बीना के प्रतिनिधि का समिति में स्वागत किया।

सदस्य कार्यालयों में राजभाषा कार्यान्वयन की समीक्षा एवं विचार-विमर्श

6. प्रथम छमाही बैठक के कार्रवाई प्रतिवेदन की पुष्टि।

सदस्य-सचिव ने समिति को अवगत कराया कि नराकास, सागर के सचिवालय द्वारा समिति की निवर्तमान अध्यक्ष महोदय प्रो. नीलिमा गुप्ता के अनुमोदन के उपरांत उक्त बैठक का कार्यवृत्त सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु समस्त सदस्य कार्यालयों को ई-मेल एवं नराकास, सागर के अधिकृत वाट्सएप्प ग्रुप के माध्यम से दिनांक 18.07.2025 को परिचालित किया गया। उक्त कार्यवृत्त पर समस्त सदस्य कार्यालयों द्वारा सहमति प्रदान की गई।

माननीय अध्यक्ष महोदय एवं समस्त सदस्य कार्यालयों द्वारा कार्रवाई की पुष्टि की गई।

7. सदस्य कार्यालयों की छमाही प्रगति रिपोर्ट (01 अप्रैल से 30 सितम्बर, 2025) की समीक्षा।

माननीय अध्यक्ष महोदय की अनुमति से समिति के सदस्य-सचिव संतोष सोहगौरा ने सदस्य कार्यालयों द्वारा प्रेषित राजभाषा की गत छमाही (01 अप्रैल से 30 सितम्बर, 2025 तक) की राजभाषा प्रगति रिपोर्ट की समीक्षा की। समीक्षा के मुख्य आधार हिंदी पत्राचार की स्थिति, राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 3(3) का अनुपालन, राजभाषा नियम 05 का अनुपालन, हिन्दी में मूल पत्राचार का प्रतिशत, हिन्दी कार्यशालाओं का आयोजन, राजभाषा पत्रिका का प्रकाशन एवं हिन्दी दिवस/पखवाड़े का आयोजन रहा। उन्होंने बताया कि कुल 22 सदस्य कार्यालयों ने निर्धारित समयावधि में अपनी छमाही प्रगति रिपोर्ट सचिवालय को प्रेषित की है। उन्होंने शेष कार्यालयों से अनुरोध किया कि वे भी प्राथमिकता के आधार पर अपनी छमाही प्रगति रिपोर्ट प्रेषित करने का कष्ट करें। समीक्षा के दौरान उन्होंने रिपोर्ट के आंकड़ों की गुणवत्ता एवं विश्वसनीयता हेतु आवश्यक कदम उठाए जाने का निवेदन किया साथ ही राजभाषा कार्यान्वयन हेतु महत्वपूर्ण सुझाव दिए।

सदस्य कार्यालयों द्वारा इंगित बिंदुओं पर यथाशीघ्र कार्यवाही सुनिश्चित करने पर सहमति व्यक्त की।

8. राजभाषा के वार्षिक कार्यक्रम 2025-26 पर चर्चा।

सदस्य-सचिव ने समिति सदस्यों को संघ का राजकीय कार्य हिन्दी में करने के लिए राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी वर्ष 2025-26 के वार्षिक कार्यक्रम के लक्ष्यों से अवगत कराया तथा उनके अनुपालन हेतु समुचित प्रयास किए जाने का अनुरोध किया।

सदस्य कार्यालयों द्वारा उक्त पर आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने पर सहमति व्यक्त की।

9. राजभाषा विभाग की सूचना प्रबंधन प्रणाली के माध्यम से तिमाही प्रगति रिपोर्ट के प्रेषण पर चर्चा।

समिति के सदस्य-सचिव ने बताया कि राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार के निर्देशानुसार समस्त कार्यालयों द्वारा तिमाही प्रगति रिपोर्ट का प्रेषण राजभाषा विभाग की सूचना प्रबंधन प्रणाली के माध्यम से किया जाना आवश्यक है। इसलिए समस्त कार्यालयों से ऑनलाइन रिपोर्ट प्रेषण हेतु राजभाषा विभाग की सूचना प्रबंधन प्रणाली पर अपने कार्यालय का पंजीयन कराने तथा तिमाही रिपोर्ट प्रेषित किया जाना सुनिश्चित किए जाने का अनुरोध किया।

सदस्य कार्यालयों द्वारा उक्त पर आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने पर सहमति व्यक्त की।

10. राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा(3) की सदस्य कार्यालयों में अनुपालन की स्थिति पर चर्चा।

समिति के सदस्य-सचिव ने बताया कि राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 3(3) के अनुसार निम्नलिखित दस्तावेजों को अनिवार्यतः द्विभाषी में जारी किया जाना है -

1. संकल्प, 2. सामान्य आदेश, 3. नियम, 4. अधिसूचनाएं, 5. प्रशासनिक व अन्य प्रतिवेदन, 6. परिपत्र, 7. प्रेस विज्ञप्तियां, 8. संविदा, 9. करार, 10. निविदा सूचना एवं निविदा प्रारूप, 11. ज्ञापन, 12. अनुज्ञप्तियां 13. अनुज्ञा पत्र, 14. नीति संबंधी दस्तावेज।

समस्त सदस्यों ने उक्त नियम का अनुपालन गंभीरता के करने का आश्वासन दिया।

11. सदस्य कार्यालयों में कुल स्वीकृत पदों के सापेक्ष हिन्दी पदों की स्थिति पर चर्चा।

समिति के सदस्य-सचिव ने बताया कि कार्यालयों में राजभाषा के प्रभावी कार्यान्वयन हेतु राजभाषा विभाग के मानकों के अनुरूप पदों का होना आवश्यक है।

अध्यक्ष महोदय ने सदस्य कार्यालयों के समस्त कार्यालयों के प्रमुखों से राजभाषा संबंधी रिक्त पदों को प्राथमिकता के आधार पर भरने एवं राजभाषा के मानकों के अनुरूप पद सृजित किए जाने पर बल दिया।

12. सदस्य कार्यालयों की वेबसाइट को संवर्धित व द्विभाषी बनाने पर चर्चा।

सदस्य-सचिव ने बताया कि राजभाषा के वार्षिक कार्यक्रम के अनुसार प्रत्येक कार्यालय की वेबसाइट द्विभाषी होनी अनिवार्य है। उन्होंने समस्त सदस्य कार्यालयों से अनुरोध किया कि कार्यालयों की वेबसाइट यथाशीघ्र द्विभाषी में तैयार करा ली जाए तथा उसे नियमित रूप से अद्यतनीकृत किया जाए ताकि राजभाषा नियमों का उल्लंघन न हो।

सदस्य कार्यालयों द्वारा उक्त पर आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने पर सहमति व्यक्त की गई।

13. सदस्य कार्यालयों में कम्प्यूटरों पर यूनिकोड के प्रयोग पर चर्चा।

उक्त मद पर चर्चा करते हुए सदस्य-सचिव ने बताया कि वर्तमान में नई पीढ़ी के कम्प्यूटरों पर यूनिकोड में कार्य करने की सुविधा उपलब्ध है। यदि किसी कारणवश किसी कार्यालय के कम्प्यूटरों पर यूनिकोड सुविधा उपलब्ध नहीं है तो उसे तकनीकी विशेषज्ञों के सहयोग से यूनिकोड समर्थित बनाये जाने की आवश्यकता है। कार्यालय यथावश्यकता अपने कार्मिकों हेतु यूनिकोड के प्रयोग पर केन्द्रित कार्यशालाओं का आयोजन भी कर सकते हैं।

सदस्य कार्यालयों ने उक्त पर अपनी सहमति व्यक्त की।

14. हिन्दी संगोष्ठी/कार्यशाला/अतिथि व्याख्यान/प्रतियोगिताओं इत्यादि के आगामी आयोजन पर चर्चा।

सदस्य-सचिव ने बताया कि राजभाषा के प्रगामी प्रयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से समय-समय पर हिन्दी संगोष्ठी/कार्यशाला/अतिथि व्याख्यान/प्रतियोगिता इत्यादि के आयोजन कराया जाना आवश्यक है। उन्होंने सदस्य कार्यालयों को अवगत कराया कि ऐसे कार्यक्रमों की वित्तीय व्यवस्था हेतु समस्त कार्यालयों का सहयोग अपेक्षित है।

माननीय अध्यक्ष महोदय ने समस्त सदस्य कार्यालयों के प्रमुखों को आश्वस्त किया कि उक्त आयोजनों हेतु विश्वविद्यालय का यथासंभव सहयोग निरंतर मिलता रहेगा।

15. नराकास, सागर की पत्रिका 'गौर दर्पण' हेतु सामग्री आमंत्रण एवं प्रकाशन पर चर्चा।

सदस्य-सचिव ने बताया कि देश के विभिन्न नराकास द्वारा नियमित रूप से पत्रिका का प्रकाशन किया जाता है। इसी अनुक्रम में विगत छमाही बैठक में नराकास, सागर की पत्रिका के प्रकाशन का संकल्प पारित किया गया था।

माननीय अध्यक्ष महोदय की अनुमति से प्रकाशन कार्य हेतु नराकास, सागर के सदस्य कार्यालयों में विशेषज्ञों की एक उप समिति (संपादक मंडल) का गठन किया गया जिसका संयोजन सदस्य कार्यालय केन्द्रीय विद्यालय क्रमांक- 04 के पीजीटी हिंदी एवं राजभाषा प्रभारी श्री योगेन्द्र सिंह जी द्वारा किया जा रहा है। संयोजक महोदय ने बताया कि उप समिति की बैठक में पत्रिका का शीर्षण 'गौर दर्पण' तय किया गया तथा प्रकाशन हेतु लगभग 20 कविताएं/लेख इत्यादि प्राप्त हुए हैं। उन्होंने समस्त सदस्यों से आग्रह किया कि प्रकाशन हेतु सामग्री यथाशीघ्र प्रेषित करें ताकि शीघ्र ही पत्रिका का प्रकाशन सुनिश्चित किया जा सके।

समस्त सदस्य कार्यालयों ने सामग्री उपलब्ध कराने पर अपनी सहमति व्यक्त की।

16. सदस्य कार्यालयों में आयोजित हिन्दी दिवस/पखवाड़ा 2025 की रिपोर्ट पर चर्चा।

सदस्य-सचिव ने समिति को अवगत कराया कि राजभाषा के वार्षिक कार्यक्रम के अनुसार समस्त कार्यालयों में भाषा पर्व हिन्दी दिवस/हिन्दी पखवाड़ा का आयोजन किया जाना आवश्यक है। कार्यालयों की छमाही प्रगति रिपोर्ट की समीक्षा के दौरान पाया गया कि कुछ कार्यालय किसी कारणवश इस वर्ष हिन्दी दिवस/हिन्दी पखवाड़ा का आयोजन नहीं कर सके हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय ने समस्त कार्यालयों से अनुरोध किया कि प्रत्येक कार्यालय द्वारा राजभाषा के प्रचार-प्रसार के लिए हिन्दी दिवस/हिन्दी दिवस का अनिवार्यतः आयोजन सुनिश्चित किया जाए।

प्रेरणा, प्रोत्साहन एवं आभार

17. गत छमाही में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले तीन सदस्य कार्यालयों (उपक्रम, बैंक एवं कार्यालय-प्रत्येक श्रेणी से एक) का सम्मान।

सदस्य-सचिव ने सदन को अवगत कराया कि गत छमाही (01 अप्रैल, 2025 से 30 सितम्बर, 2025 तक) के दौरान अपने कार्यालय/उपक्रम/बैंक में राजभाषा के प्रभावी कार्यान्वयन हेतु तीन सदस्य कार्यालयों को (तीन श्रेणियों: बैंक, उपक्रम एवं कार्यालय-प्रत्येक से एक) को नराकास, सागर की ओर से 'उत्कृष्टता सम्मान' से पुरस्कृत किया जाना है। पुरस्कार चयन हेतु हिन्दी पत्राचार एवं टिप्पण की स्थिति, राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 3(3) का अनुपालन, राजभाषा नियम 05 का अनुपालन, हिन्दी में मूल पत्राचार का प्रतिशत, हिन्दी कार्यशालाओं का आयोजन, राजभाषा पत्रिका का प्रकाशन एवं हिन्दी दिवस/पखवाड़े का आयोजन आदि को आधार बनाया गया।

उन्होंने बताया कि माननीय अध्यक्ष महोदय की अनुमति से नराकास, सागर की ओर से राजभाषा के प्रभावी कार्यान्वयन करने वाले सदस्य कार्यालयों को प्रत्येक छमाही बैठक के दौरान 'उत्कृष्टता सम्मान' से पुरस्कृत किया जाता है।

नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति, सागर ने माननीय अध्यक्ष महोदय के मार्गदर्शन एवं विशिष्ट अतिथि श्री नरेन्द्र सिंह मेहरा के अनुमोदन से निम्नलिखित कार्यालयों को 'उत्कृष्टता सम्मान' से पुरस्कृत किया गया-

1. बैंक श्रेणी - भारतीय स्टेट बैंक, सागर
2. उपक्रम श्रेणी - भारतीय खाद्य निगम, सागर एवं
3. कार्यालय श्रेणी - डॉक्टर हरीसिंह गौर विश्वविद्यालय, सागर।

समस्त सदस्यों ने विजेता कार्यालयों को बधाई एवं शुभकामनाएं प्रेषित कीं। विजेता कार्यालयों को प्रमाण-पत्र एवं स्मृति चिह्न प्रदान किए गए।

18. उप निदेशक (कार्यान्वयन), क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय (मध्य), राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा संवोधन, प्रेरणा एवं समीक्षा।

नराकास बैठक में विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित श्री नरेन्द्र सिंह मेहरा, उप निदेशक (कार्यान्वयन), क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय(मध्य), राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार ने सदस्य कार्यालयों को राजभाषा नियमों से अवगत कराया तथा उनके प्रभावी कार्यान्वयन हेतु महत्वपूर्ण सुझाव दिए। उन्होंने बताया कि राजभाषा कार्यान्वयन के लिए भारत सरकार की नीति प्रेरणा व प्रोत्साहन की नीति है। माननीय अध्यक्ष महोदय का आभार व्यक्त करते हुए श्री मेहरा ने कहा कि आपके यशस्वी नेतृत्व में नराकास, सागर निःसंदेह ही भारत की अग्रणी नराकास के रूप में अपनी पहचान बनायेगी। उन्होंने समस्त कार्यालयों से राजभाषा नियमों एवं राजभाषा के वार्षिक कार्यक्रम के शत-प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित करने का अनुरोध किया।

19. अध्यक्ष महोदय की अनुमति से अन्य कोई बिंदु पर चर्चा।

(क) माननीय अध्यक्ष महोदय की अनुमति से बैठक में विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित श्री नरेन्द्र सिंह मेहरा ने समिति के सदस्य-सचिव तथा विश्वविद्यालय के संयुक्त कुलसचिव एवं राजभाषा अधिकारी श्री संतोष सोहगौरा को उत्कृष्ट प्रशासनिक सेवा एवं राजभाषा कार्यान्वयन हेतु मध्यप्रदेश शासन एवं जिला प्रशासन, सागर द्वारा सम्मानित किए जाने पर समिति की ओर से अभिनंदन का प्रस्ताव रखा।

उक्त प्रस्ताव पर सभी सदस्यों, विशिष्ट अतिथि एवं माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा समिति के सदस्य-सचिव श्री संतोष सोहगौरा को शुभकामनाएं प्रेषित करते हुए सम्मान-पत्र एवं स्मृति चिह्न से सम्मानित किया गया।

- (ख) माननीय अध्यक्ष महोदय ने विशिष्ट अतिथि श्री नरेन्द्र सिंह मेहरा जी के प्रस्ताव पर राजभाषा प्रोत्साहन हेतु प्रत्येक श्रेणी से तीन कार्यालयों को पुरस्कृत किए जाने की अनुशंसा की।
- (ग) अध्यक्ष महोदय की अनुमति से समिति के सदस्य-सचिव के सुझाव दिया पर आगामी बैठकों में राजभाषा कार्यान्वयन पर व्याख्यान हेतु किसी प्रसिद्ध शख्सियत या साहित्यकार को आमंत्रित किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान की।

20. माननीय अध्यक्ष महोदय का उद्बोधन एवं आशीर्वचन।

अपने अध्यक्षीय उद्बोधन में माननीय कुलपति यशवंत सिंह ठाकुर ने बताया कि कार्यालयों के दैनन्दिन कामकाज में राजभाषा हिन्दी के प्रयोग को निरंतर बढ़ावा देना समस्त केन्द्रीय कार्यालयों, उपक्रमों एवं बैंकों का दायित्व है। राजभाषा का प्रभावी कार्यान्वयन तभी संभव है जबकि कार्यालयों के समस्त कार्मिक इसे अपना नैतिक दायित्व मानते हुए सामूहिक प्रयास करें। उन्होंने सदस्य कार्यालयों से आग्रह किया कि राजभाषा कार्यान्वयन की छमाही रिपोर्ट को यथा-समय प्रेषित करें तथा क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय, भोपाल एवं नराकास सचिवालय, सागर द्वारा समय-समय पर वांछित जानकारी को यथा समय भिजवाना सुनिश्चित करें। उन्होंने समस्त कार्यालयों के प्रमुखों से यह भी आग्रह किया नराकास, सागर की गतिविधियों के सुचारू संचालन हेतु आपसी सहमति से निर्धारित सदस्यता शुल्क/अंशदान का भुगतान समय पर करवाने तथा धारा 3(3) के शत-प्रतिशत अनुपालन हेतु अपने अधीनस्थों को निदेशित करें।

माननीय अध्यक्ष महोदय ने राजभाषा कार्यान्वयन पर सार्थक चर्चा एवं विचार-विमर्श हेतु उपस्थित समस्त सदस्य कार्यालयों के प्रमुखों का आभार व्यक्त किया।

21. सदस्य-सचिव द्वारा धन्यवाद ज्ञापन एवं समापन।

बैठक के अंत में सदस्य-सचिव संतोष सोहगौरा ने समिति के माननीय अध्यक्ष प्रो. यशवंत सिंह ठाकुर, विशिष्ट अतिथि श्री नरेन्द्र सिंह मेहरा, समस्त सम्मानित सदस्यों, कार्यालय प्रमुखों एवं राजभाषा अधिकारियों का आभार ज्ञापन किया। उन्होंने बताया कि नराकास, सागर की आगामी बैठक जून माह, 2026 में आयोजित की जायेगी।

22. संगीत विभाग, डॉक्टर हरीसिंह गौर विश्वविद्यालय द्वारा प्रस्तुति।

बैठक के अंत में माननीय अध्यक्ष महोदय की अनुमति से संगीत विभाग, डॉक्टर हरीसिंह गौर विश्वविद्यालय द्वारा मनमोहक प्रस्तुति दी गई। संगीत विभाग के सहायक प्राध्यापक डॉ. अवधेश प्रताप सिंह तोमर एवं डॉ. राहुल स्वर्णकार के कुशल मार्गदर्शन में नीलम मिश्रा, सौम्या बुधौलिया, स्तुति खम्परिया, अनुकृति रावत एवं अभिरुद्र तिवारी ने भजन एवं गज़ल प्रस्तुत की। वाद्ययंत्रों पर संगति गगनराज एवं कनिष्क तिवारी की रही।

समस्त सदस्यों ने संगीतमय प्रस्तुति की सराहना की। समिति की ओर से माननीय अध्यक्ष महोदय, विशिष्ट अतिथि एवं सदस्य-सचिव द्वारा संगीत विभाग की टीम का पुष्पगुच्छ से अभिनंदन किया गया।

इस प्रकार सौहार्दपूर्ण वातावरण में नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति, सागर की वर्ष 2025-26 की द्वितीय छमाही बैठक सम्पन्न हुई।

संलग्नक : उपस्थिति पत्रक।

(संतोष सोहगौरा)

सदस्य-सचिव

नराकास, सागर

सदस्य-सचिव / Member-Secretary

नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति

Town Official Language Implementation Committee

सागर (म.प्र.) / Sagar (M.P.) 470003

(प्रो. यशवंत सिंह ठाकुर)

अध्यक्ष

नराकास, सागर

अध्यक्ष / Chairperson

नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति

Town Official Language Implementation Committee

सागर (म.प्र.) / Sagar (M.P.) 470003

नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति, सागर (म.प्र.)
द्वितीय छमाही बैठक (वर्ष 2025-26)

दिनांक : 17 नवम्बर, 2025

समय : 12.00 मध्याह्न

स्थान : वरदान होटल, सिविल लाइन, सागर (म.प्र.)

उपस्थित / अनुपस्थित कार्यालय

क्र.	सदस्य कार्यालय का नाम	कार्यालय प्रमुख	हिन्दी अधिकारी/प्रतिनिधि
बैंक			
1	यूनियन बैंक ऑफ इंडिया	उपस्थित	
2	पंजाब नेशनल बैंक	उपस्थित	उपस्थित
3	सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया	उपस्थित	
4	भारतीय स्टेट बैंक	उपस्थित	उपस्थित
5	बैंक ऑफ इंडिया	अनुपस्थित	अनुपस्थित
6	यूको बैंक	उपस्थित	उपस्थित
7	इंडियन बैंक	उपस्थित	उपस्थित
8	इंडियन ओवरसीज बैंक	उपस्थित	
9	बैंक ऑफ बड़ौदा	उपस्थित	
10	पंजाब एंड सिंध बैंक	अनुपस्थित	अनुपस्थित
11	बैंक ऑफ महाराष्ट्र		उपस्थित
12	केनरा बैंक		उपस्थित
उपक्रम			
13	पावर ग्रिड का.ऑफ इ.लि.	उपस्थित	उपस्थित
14	भारतीय खाद्य निगम	उपस्थित	उपस्थित
15	भारत संचार निगम लिमिटेड		उपस्थित

क्र.	सदस्य कार्यालय का नाम	कार्यालय प्रमुख	हिन्दी अधिकारी/प्रतिनिधि
16	दि न्यू इंडिया एश्योरेंस कं. लि.		उपस्थित
17	ओरियंटल इश्योरेंस कं. लि.	अनुपस्थित	अनुपस्थित
18	नेशनल इश्योरेंस कं. लि.		उपस्थित
19	यूनाइटेड इंडिया इश्योरेंस कं. लि.		उपस्थित
20	भारतीय जीवन बीमा निगम	उपस्थित	
21	भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, बीना	उपस्थित	उपस्थित
22	इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड सागर डिपो, सागर	अनुपस्थित	अनुपस्थित

कार्यालय

23	कर्मचारी भविष्य निधि संगठन		उपस्थित
24	आकाशवाणी, सागर	उपस्थित	
25	केन्द्रीय विद्यालय क्र. 01	उपस्थित	उपस्थित
26	केन्द्रीय विद्यालय 02	उपस्थित	
27	केन्द्रीय विद्यालय 03	उपस्थित	उपस्थित
28	केन्द्रीय विद्यालय- 4	उपस्थित	उपस्थित
29	केन्द्रीय विद्यालय, ढाना		उपस्थित
30	केन्द्रीय विद्यालय, बीना		उपस्थित
31	जवाहर नवोदय विद्यालय, खुरई	उपस्थित	उपस्थित
32	डॉक्टर हरीसिंह गौर विश्वविद्यालय	उपस्थित	उपस्थित
33	मौसम विज्ञान केंद्र	उपस्थित	

क्र.	सदस्य कार्यालय का नाम	कार्यालय प्रमुख	हिन्दी अधिकारी/प्रतिनिधि
34	संयुक्त आयकर आयुक्त परिक्षेत्र	अनुपस्थित	अनुपस्थित
35	रेलवे स्टेशन		उपस्थित
36	केन्द्रीय संचार ब्यूरो (पूर्व नाम क्षेत्रीय प्रचार कार्यालय)	उपस्थित	
37	राष्ट्रीय प्रतिदर्श (सांख्यिकीय) सर्वेक्षण कार्यालय मकरोनिया सागर	उपस्थित	उपस्थित
38	कार्यालय अधीक्षक, डाकघर	उपस्थित	
39	अधिशाली छावनी परिषद		उपस्थित
40	केन्द्रीय माल एवं सेवाकर प्रभाग	अनुपस्थित	अनुपस्थित
41	वेतन लेखा कार्यालय, महार रेजीमेंट सेंटर, सागर	अनुपस्थित	अनुपस्थित
42	राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र, सागर	अनुपस्थित	अनुपस्थित